तारीख हुक्म	न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-2 बून्दी सेशन प्रकरण संख्या 72/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.04.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मुकेश व छोटू लाल उपस्थित। अभियुक्तगण के अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मुकेश के सन्दर्भ में बहस आरोप सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपर लोक अभियोजक का बहस आरोप में तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण में पूर्व में धारा 3/8, 5/8, 6/8, 9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995, 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 307 व 120 बी भा.दं.सं. एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के अपराधों के आरोप विरचित किये गये हैं, अभियुक्त मुकेश का कृत्य भी उनसे भिन्न नहीं है, अतः अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध भी उक्त अपराधों के आरोप विरचित किये जावें। वहीं अधिवक्ता अभियुक्त मुकेश ने उक्त अपराधों के आरोप विरचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हुआ है कि प्रकरण में पूर्व में अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3/8, 5/8, 6/8, 9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995, 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 307 व 120 बी भा.दं.सं. एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के अपराधों के आरोप विरचित किये गये है। अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध भी पूर्व में इन्हीं अपराधों के आरोपों में तितम्बा चालान पेश हुआ है किन्तु सहवन से उसक विरुद्ध आरोप विरचित होने से रह गये और पत्रावली सीधे ही तलबी मुलजिम से साक्ष्य अभियोजन में नियत कर दी गई। अधिवक्ता अभियुक्त मुकेश ने भी उक्त अपराधों के आरोप विरचित किये जाने में कोई आपत्ति होना व्यक्त नहीं किया है। अतः अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 3/8, 5/8, 6/8, 9,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन	मुकेश छोटू

अपर सेशन न्यायाधीश

[illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रदाय या निर्यात) अधिनियम 1995, 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 307 व 120 बी भा.द.सं. एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप विरचित करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध धारा 3/8, 5/8, 6/8, 8,10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रव्रजन या निर्यात) अधिनियम 1995, 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 307 व 120 बी भा.द.सं. एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये, अभियुक्त ने आरोपित अपराधों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

प्रकरण में अभियुक्त मुकेश के उपस्थित होने से पूर्व एक गवाह पी.डब्ल्यू. 1 श्योजी लाल की साक्ष्य लेखबद्ध की गई थी, इसके पश्चात् अन्य सभी साक्षियों के साक्ष्य अभियुक्त मुकेश की उपस्थिति में ही लेखबद्ध की गई है। अपर लोक अभियोजक ने पूर्व में अभियोजन पक्ष की ओर से लेखबद्ध करवायी गई साक्ष्य के अतिरिक्त पुनः किसी गवाह को पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता अभियुक्त मुकेश से गवाहान से जिरह बाबत् पूछा गया तो उनके द्वारा किसी भी गवाह से पुनः जिरह करने से इनकार किया और एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में सभी गवाहों से की गई जिरह से वे संतुष्ट हैं और दुबारा किसी गवाह से जिरह नहीं करना चाहते हैं।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष द्वारा पुनः किसी भी साक्ष्य के बयान लेखबद्ध करवाने अथवा जिरह करने की कोई आवश्यकता नहीं होना बताया गया है। ऐसी स्थिति मे साक्ष्य अभियोजन हेतु किसी गवाह को पुनः तलब किये जाने की आवश्यकता नही है। चूंकि पूर्व मे प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में बयान मुलजिम लिये जा चुके हैं एवं पत्रावली पूर्व में बहस अंतिम के स्तर पर लम्बित थी। ऐसी स्थिति में अब पत्रावली को पुनः बहस अंतिम हेतु नियत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 6/5/2016 को पेश हो।

अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम सं०2, बून्दी (राज०)